पत्रसं0–परि0–176(16–17)/ 987 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0
(परिवाद अनुभाग)
लखनऊ/दिनांक/12/दिसम्बर, 2017

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

स्थानीय कार्यालयों में महिलाओं के प्रति हो रहे दुर्व्यव्यहार की घटनाओं का निराकरण न हो पाने के कारण कतिपय प्रकरण मुख्यालय पर प्राप्त हुए हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अनुकूल व स्वस्थ वातावरण निर्मित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम–3(क) में **"कामकाजी महिलाओं के यौन –उत्पीड़न के प्रतिषेध "** की भी व्यवस्था की गयी है। अतः कार्यस्थल का वातावरण महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है–

1. कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ किसी प्रकार के उत्पीड़न के आचरण में संलिप्त नहीं होगा।
2. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो कार्यस्थल का प्रभारी होता है, ऐसे कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ होने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगा।
3. महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करवाया जाये।
4. उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा पीड़िता के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।
5. महिलाओं को आर्थिक सामाजिक से लेकर मानसिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु एवं किसी अप्रिय स्थिति का सामना करने के लिए रोधी (Preventive) कदम उठाएं जाए।
6. अतः उच्चाधिकारी /कार्यालयाध्यक्ष का दायित्य है कि वे महिलाओं के प्रति हो रहें दुर्व्यवहार की घटनाओं का स्थानीय स्तर पर ही शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करें एवं कार्यस्थल पर कार्य, स्वास्थ्य , स्वच्छता का उचित प्रबन्धन करें ताकि महिलाएं स्वस्थ एवं अनुकूल वातावरण में गरिमापूर्वक कार्य कर सकें।

उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपिः– ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

ज्वाइंट कमिश्नर (परिवाद) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

9484
JC(I.T.)
12/12/17